न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :–स्वाति गुप्ता आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :– 01/2024

विजय सिंह पुत्र आदराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–– वादी

बनाम

तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

–– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री अब्दुल सतार जोईया — वादी
2. राजपैरोकार — प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक :– 05.09.2024

वादी विजय सिंह ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया कि चक न0 1 ए बारानी के जमाबंदी संवत 2075 ता 78 की खाता स0 85/91 में कुल 3.7950 है अनकमाण्ड मैया गै0मु0 आराजी में सें वादी की 1/2 हिस्सा आराजी दर्ज राजस्व रिकोर्ड है। जिसमें वादी का नाम बृजलाल पुत्र आदराम दर्ज है। नकल जमाबंदी सलंग्न वाद पत्र है।

वादी का सही नाम विजय सिंह है। वादी को घरू नाम बृजलाल के नाम से भी पुकारा जाता था जिस कारण से वादी के पिता आदराम द्वारा वादी व वादी के भाई पृथ्वी के नाम से भूमि खरीद कर उनके नाम से राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवा दी थी उस समय वादी के घरेलू नाम बृजलाल के नाम से भूमि खरीद की थी इस कारण से राजस्व रिकोर्ड में वादी का नाम बृजलाल अंकित हो गया जबकि वादी का सही नाम विजय सिंह है। जो वादी की अन्य आराजी चक 1 ए बारानी के जमाबंदी संवत 2075 ता 78 खता स0 211/193 में दर्ज है इसके अलावा वादी के आधार कार्ड व पैनकार्ड परिवार राशन कार्ड जनआधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र विधानसभा क्षेत्र संगरिया की निर्वाचन नामावली 2014 की भाग संख्या 195 क्रम स0 877 पर दर्ज नाम विजय सिंह है। जो सही है। वादी के आधार कार्ड पैन कार्ड मतदाता पहचान पत्र आदि फोटोप्रतिया संलग्न वाद पत्र है।

विजय सिंह व बृजलाल दोनो नाम वादी के ही है तथा उपरोक्त दोनो नामों से वादी को जाना व पहचाना जाता है इस संबध में ग्राम पंचायत खिनानिया द्वारा भी प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है कि बृजलाल व विजय सिंह दोनो नाम का एक ही व्यक्ति वादी है वादी का सही नाम वादी के दस्तावेजात में विजय सिंह अंकित है चक न0 1 ए बारानी के खाता स0 85/91 में वादी का नाम बृजलाल अंकित है। बृजलाल व

Scanned with CamScanner

विजय सिंह वादी के नाम ही है। राजस्व रिकोर्ड मे वादी का नाम बृजलाल अंकित रहने से व वादी का नाम में भिन्नता बने रहने से वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है अतः वादी को बैंक से ऋण लेने पानी की बारी अपने नाम करवाने आदि में असुविधा होती है। इसलिए वादी घोषणा इस आशया की प्राप्ती का अधिकारी है कि चक न0 1ए बारानी के जमाबंदी सम्वत 2075 ता 78 के खाता स0 85/91 में अंकित वादी का नाम बृजलाल को दुरस्त करवाकर बृजलाल के स्थान पर सही नाम विजय सिंह अंकित करवाने का अधिकारी व दावेदार है। वादी ने प्रतिवादी को आज से एक सप्ताहा पूर्व मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादी का नाम राजस्व रिकोर्ड मे दुरस्त कर बृजलाल के स्थान पर सही नाम विजय सिंह अंकित करवा देवे तो प्रतिवादी ने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने को कहा। बस यही बिनाय दावा है।

वादी का वाद पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है। लिहाजा वाद पेश कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषित किया जावे कि चक न0 1 ए बरानी के जमाबंदी संवत 2075 ता 78 के खाता स0 85/91 में अंकित वादी का नाम बृजलाल के स्थान पर विजय सिंह अंकित किया जावें।

(ख) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष बहक वादी हो तो अता फरमावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा अपना सहमति का जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि राज्य हित को ध्यान में रखते हुए मुकदमा का निस्तारण किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा मुताबिक जबाबदावा सहमति वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वादीगण का वाद पूर्णतया साबित है।

वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी के घरेलू नाम बृजलाल के नाम से भूमि खरीद की थी इस कारण से राजस्व रिकोर्ड में वादी का नाम बृजलाल अंकित हो गया जबकि वादी का सही नाम विजय सिंह है। जो वादी की अन्य आराजी चक 1 ए बारानी के जमाबंदी संवत 2075 ता 78 खता स0 211/193 में दर्ज है इसके अलावा वादी के आधार कार्ड व पैनकार्ड परिवार राशन कार्ड जनआधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र विधानसभा क्षेत्र संगरिया की निर्वाचन नामावली 2014 की भाग संख्या 195 क्रम स0 877 पर दर्ज नाम विजय सिंह है। जो सही है। वादी के आधार कार्ड पैन कार्ड मतदाता पहचान पत्र आदि फोटोप्रतिया संलग्न वाद पत्र है।

Scanned with CamScanner

विजय सिंह व बृजलाल दोनो नाम वादी के ही है तथा उपरोक्त दोनो नामों से वादी को जाना व पहचाना जाता है । मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी, जवाबदावा, शपथ पत्र साक्ष्य व प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड व पैनकार्ड परिवार राशन कार्ड जनआधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र विधानसभा क्षेत्र संगरिया की निर्वाचन नामावली 2014 की भाग संख्या 195 क्रम स0 877 पर दर्ज नामावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक जवाबदावा वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक राजीनामा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादीगण साबित करने में सफल रहे है। वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

वादीगण एवम् प्रतिवादीगणों के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाबदावे के अनुसार वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है के आदेश दिये जाते है। कि चक न0 1ए बारानी के जमाबंदी सम्वत 2075 ता 78 के खाता स0 85/91 में अंकित वादी का नाम बृजलाल को दुस्स्त कर बृजलाल के स्थान पर सही नाम विजय सिंह अंकित करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 05.09.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति गुप्ता) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner